पीएम आवास योजना के 145 आरोपियों का मुकदमा वापस लेने की अनुमति

राज्य सरकार के निर्णय पर न्यायालय ने अभियोजन वापसी की अर्जी मंजूर की

संवाद न्यूज एजेंसी

जसपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अनियमितता और फर्जीवाड़े से जुड़े बहुचर्चित मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट (जूनियर डिवीजन) जसपुर की अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दायर अभियोजन वापसी की अर्जी स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही 145 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस लेने की अनुमति दे दी गई।

अदालत से 1

मामला वर्ष 2018 में दर्ज एफआईआर संख्या 195/2018 से संबंधित है। आरोप था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन के लिए गलत जानकारी देकर लाभ प्राप्त किया गया। इस मामले में अनूप सिंह सहित 145 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी तथा कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 177 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने 15 मई 2026 के शासनादेश के माध्यम से इस मामले में अभियोजन वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके आधार पर न्यायालय से अभियोजन वापसी की अनुमति मांगी गई।

न्यायिक मजिस्ट्रेट जहांआरा अंसारी ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत न्यायहित और उचित कारण होने पर अभियोजन वापसी की अनुमति दी जा सकती है। न्यायालय ने राज्य सरकार के निर्णय और मामले के तथ्यों को देखते हुए अभियोजन की अर्जी स्वीकार कर ली तथा मुकदमा वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया।

मासूम से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को पांच साल की सजा

काशीपुर। फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। **2** अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

एक महिला ने कोतवाली काशीपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 21 सितंबर 2023 रात करीब 9 बजे उसकी सात वर्षीय पुत्री अपने दादा के घर के बाहर गली में खेल रही थी। आरोपी रामनगर निवासी दिलशाद उसकी पुत्री को गोद में उठाकर सुनसान स्थान पर सीढ़ियों पर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया।

बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी ने फरार हो गया। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी दिलशाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट में हुआ।

संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली के साक्ष्यों का परीशीलन कर विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी दिलशाद को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। इसमें से 25 हजार रुपया पीड़िता को दिया जाएगा। संवाद

पिता-पुत्र की मौत के मामले में दोषी चालक को एक साल का कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी

रुद्रपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) इंदु शर्मा ने 11 साल पुराने सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत के मामले में दोषी डंपर चालक को एक वर्ष का कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। **3**

अभियोजन के अनुसार 21 नवंबर 2015 की रात डॉगपुरी कॉलोनी, गदरपुर निवासी कृपाल सिंह अपने बड़े बेटे प्रकाश की दवा लेकर हल्द्वानी से लौटे थे। वह कृष्णा राइस मिल के सामने बोलेरो कैंपर से उतरकर चालक को किराया दे रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए सड़क किनारे खड़े पिता-पुत्र और बोलेरो को टक्कर मार दी।

हादसे में बोलेरो पलट गई और उसमें सवार अन्य यात्रियों को भी चोटें आईं। गंभीर रूप से घायल कृपाल सिंह और प्रकाश ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मृतक के दूसरे बेटे विकास की तहरीर पर कोतवाली गदरपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने डंपर चालक कौशर अली के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

11

साल पुराने सड़क हादसे के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला

अभियोजन पक्ष ने अदालत में नौ गवाहों और तकनीकी साक्ष्यों को पेश किया। सुनवाई के दौरान एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह अपने बयान से मुकर गया लेकिन बोलेरो चालक नौशाद, डंपर मालिक के प्रतिनिधि गुरप्रीत सिंह बग्गा की गवाही और मोटर वाहन अधिनियम की धारा-133 के तहत प्राप्त अभिलेखों से यह साबित हो गया कि हादसे के समय डंपर को कौशर अली ही चला रहा था।

अदालत ने दोषी को धारा 304ए के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने जबकि धारा 279 एवं 337 में छह-छह माह के कठोर कारावास तथा पांच-पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत ने दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए हैं।

दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता की जमानत खारिज

काशीपुर। एडीजे/एफटीएससी (पॉक्सो) कोर्ट ने नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

एक महिला ने काशीपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके दूसरे पति ने फरवरी 2026 से 2 माह तक अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को 28 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की जमानत के लिए एडीजे/एफटीएससी (पॉक्सो) कोर्ट में दूसरी बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। **4**

आरोपी के अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में पीड़िता व मुकदमें की वादी अपने पूर्व में दिए गए बयानों से मुकर चुकी है। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। एडीजे/एफटीएससी (पॉक्सो) रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने इस घटना को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए आरोपी का दूसरा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। संवाद

नवगठित व्यापार मंडल राजनीति से प्रेरित : अमन

खटीमा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व व्यापारियों ने देवभूमि व्यापार मंडल के गठन का विरोध किया। लेहिरावेड़ा मार्ग स्थित एक होटल में प्रेसवार्ता में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे अमन अरोरा ने नवगठित व्यापार मंडल को राजनीति से प्रेरित बताया। व्यापारियों ने कहा कि व्यापार मंडल किसी भी राजनीतिक दल का मंच नहीं होना चाहिए बल्कि व्यापारियों के हितों की रक्षा करने वाला स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खटीमा में आई आपदा के व्यापारियों को राहत राशि के चेक वितरण नहीं किए गए तो आंदोलन किया जाएगा। वहां पर नासिर खान, बादल सक्सेना, मो.जरीफ, मुल्तफाम अली, रवि अग्रवाल, हिमांशु चौहान आदि थे। संवाद

नगर निगम के नामित पार्षदों को शपथ दिलाई

रुद्रपुर नगर निगम में शपथ ग्रहण करते नामित पार्षद। स्रोत : नगर निगम

अमर उजाला ब्यूरो

रुद्रपुर। नगर निगम के आठ नामित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहरी पर्यावरण संरक्षण परिषद की उपाध्यक्ष एवं दायित्वधारी हेमा जोशी रहीं।

उन्होंने पार्षद संदीप वाल्मीकि, नरेश उप्रेती, राजन राठौर, विवेक रावत, अमित मिश्रा, जितेंद्र मौर्य, सतनाम सिंह सहित सभी नामित पार्षदों को शपथ दिलाई। नामित पार्षदों ने शहर को नंबर वन बनाने का संकल्प लिया।

मेयर विकास शर्मा ने कहा कि नामित पार्षद नगर निगम की कार्यप्रणाली की और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहां सहायक नगर आयुक्त रणदीप, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पीयूष रंजन, राजू नबियाल, हिमांशु शुक्ला, कुलदीप कुमार, अरुण कुमार, केके त्रिपाठी, अजय जोशी, प्रदीप मौर्य, मोहित मौर्य आदि मौजूद रहे।

पर्यावरण संरक्षण सबकी जिम्मेदारी : हेमा

किच्छा। शहरी पर्यावरण संरक्षण परिषद की उपाध्यक्ष एवं दायित्वधारी हेमा जोशी ने बुधवार को नगरपालिका परिषद में समीक्षा बैठक की। उन्होंने पालिका कर्मचारियों के साथ क्षेत्र के पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नगर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण सुरक्षा में सभी को अपना सहयोग देना चाहिए। हेमा ने पार्कों में पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने पालिका के पर्यावरण मित्रों की समस्याओं की जानकारी भी ली। उन्होंने कर्मचारियों को बताया कि शासन ने उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। बैठक में डॉ दीपक शुक्ला, नितिन चरन, विनोद कुमार, मोहम्मद ताहिर मलिक, विजयंत चौधरी, रोहित चौहान, रोहित बलूनी, हेमचंद्र कोठारी, आनंद सिंह नेगी आदि कर्मचारी थे। संवाद

धोखाधड़ी के दो मामले में छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

काशीपुर। कोर्ट के आदेश पर संपति को लेकर धोखाधड़ी के दो मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक मामले में मकान बेचने के नाम पर 44.50 लाख रुपये तो दूसरे मामले में 23.50 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है।

ग्राम राजपुर, तहसील जसपुर निवासी हमीदुल्ला ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थनापत्र देकर कहा है कि जसपुरखुर्द निवासी भप शर्मा, मोहल्ला खत्रियान निवासी सानिया चतुर्वेदी, उसके पति सुमित चतुर्वेदी व ढकिया गुलाबो निवासी अमित सिंह चौहान ने उसके साथ ग्राम नौझड़ा में एक मकान का सौदा किया। इन लोगों ने उससे 44.50 लाख रुपये लेकर एक सितंबर 2023 को बैनामा करा दिया। बाद में पता लगा कि मकान किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है।

दूसरे मामले में ग्राम धीमरखेड़ा निवासी नाजिम सुल्तान ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि उसने मसवारी, रामपुर निवासी शाकिर रिजवी के माध्यम से जसपुरखुर्द निवासी अहसान अली से एक मकान 23 लाख 50 हजार रुपये में खरीदा था। रकम देने के बाद अहसान ने सात सितंबर, 2021 को मकान का बैनामा करा दिया। मकान का दाखिल खारिज भी हो गया। आरोप है कि अहसान ने यही मकान किसी दूसरे व्यक्ति को भी बेच दिया। सीओ अखलेश कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दोनों मामलों में छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। संवाद

पंजाबी सभा के पदाधिकारियों का स्वागत

पंजाबी सभा के पदाधिकारियों का स्वागत करते लोग। संवाद

किच्छा। श्री सनातन धर्म मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पंजाबी महासभा के नवमनोनीत पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में महासभा अध्यक्ष राजा सुखीजा, महामंत्री देवेंद्र सेतिया और कोषाध्यक्ष राजीव आहूजा का स्वागत किया गया। वक्ताओं ने सभी पदाधिकारियों से सामाजिक बुराइयों को दूर करने व समाजसेवा के कार्यों में आगे रहने की अपील की। वहां पंडित अरुणेश शर्मा, सुदर्शन दुकाल, राजू सेतिया, विनोद पुटेरया, सतीश चड्ढा, भजनलाल अरोरा, रमेश दावड़ा, प्रमोद दुकराल आदि थे। संवाद

चालान और सीज के बाद भी दौड़ रहे ओवरलोड वाहन

रुद्रपुर। परिवहन विभाग की लगातार सख्ती के बावजूद जिले की सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओवरलोड मालवाहन, क्षमता से अधिक सवारी ढोते यात्री वाहन, बिना फिटनेस, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स और वगैर परमिट के वाहन बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे हैं।

हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परिवहन विभाग ने बीते एक सप्ताह में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर 378 वाहनों का चालान कर 76 वाहनों को सीज किया। रुद्रपुर, किच्छा, पुलभट्टा, सितारगंज और खटीमा क्षेत्र में लगातार अभियान चलाया गया।

21 से 28 जुलाई के बीच हुई कार्रवाई में सबसे अधिक मामले ओवरलोडिंग और बिना जरूरी दस्तावेजों के वाहन संचालन के सामने आए। अभियान के दौरान बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के 55 वाहन भी पकड़े गए जिनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।

कई माल वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर सड़कों पर दौड़ते मिले जबकि कई यात्री वाहन क्षमता से अधिक सवारियां ढोते पाए गए। लगातार हो रही कार्रवाई के बाद भी वाहन संचालकों की कार्यशैली में अपेक्षित बदलाव नहीं दिख रहा है। संवाद

एक सप्ताह में की गई कार्रवाई

- चालान : 378
- वाहन सीज : 76
- बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट : 55 वाहन
- कार्रवाई का दायरा : रुद्रपुर, किच्छा, पुलभट्टा, सितारगंज और खटीमा

सड़क सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त प्रवर्तन अभियान जारी रहेगा।
- मोहित कोठारी, एआरटीओ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) | Punjab & Sind Bank (A Government Of India Undertaking) | Where service is a way of life

ई-नीलामी बिक्री सूचना

क्षेत्रीय कार्यालयः बरेली, 97/2, तुलाशेरपुर, पीलीभीत बाईपास रोड़ बरेली, उ.प्र. 243122, ई-मेल- ro.bareilly@psb.bank.in

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पढ़ी गई। ["परिशिष्ट IV-A"]

ई-नीलामी तिथि व समय : 29.08.2026 प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक | ईएमडी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि व समय : 27.08.2026 शाम 05 बजे तक | संपत्ति निरीक्षण तिथि व समय : 27.08.2026 प्रातः 10 बजे से 04 बजे तक

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और जमानती (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका दायत्वात्मक / औपचारिक कब्जा पंजाब एंड सिंध बैंक के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित ऋणदाता द्वारा लिया गया है. उक्त संपत्ति की बिक्री से बैंक के बकाया की वसूली के लिए 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट "https://baanknet.com/" पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

लॉट सं.	शाखा/ऋणी/गारंटर का नाम	सम्पत्ति एवं स्वामी का विवरण	डिमांड सूचना तिथि / मांग पत्र 13(2) में अंकित राशि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी राशि / बृद्धि राशि
1.	शाखा: रुद्रपुर। 1. श्री जसदीप सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी खुशी एन्क्लेव, रामपुर, भाग रुद्रपुर, जिला यूएस नगर (ऋणकर्ता / बंधककर्ता), – (तृतीय) – अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से। 1.1. श्री तरनजीत सिंह पुत्र श्री जसदीप सिंह, निवासी खुशी एन्क्लेव, रामपुर, भाग रुद्रपुर, जिला यूएस नगर (कानूनी उत्तराधिकारी) 1.2. कुमारी जसप्रीत कौर पुत्री श्री जसदीप सिंह निवासी खुशी एन्क्लेव, रामपुर, भाग रुद्रपुर, जिला यूएस नगर (कानूनी उत्तराधिकारी), 2. श्रीमती निर्मलजीत कौर पत्नी जसदीप सिंह निवासी खुशी एन्क्लेव, रामपुर, पार्ट रुद्रपुर, जिला यूएस नगर (ऋणकर्ता / बंधककर्ता) 3. श्री गौरव नागिया पुत्र श्री सुभाष कुमार निवासी खुशी एन्क्लेव, रामपुर, भाग रुद्रपुर, जिला यूएस नगर (गारंटर) 4. श्रीमती पूनम हुआ पत्नी श्री दिनेश कुमार हुआ खुशी एन्क्लेव, रामपुर, भाग रुद्रपुर, जिला यूएस नगर (गारंटर)।	सम्पत्ति का साम्यिक बंधक जिसका क्षेत्रफल 131.73 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 30 / 1 / 3 गिन, राजस्व गांव रामपुर, तहसील रुद्रपुर में स्थित है, सम्पत्ति जसदीप सिंह पुत्र अमर सिंह और निर्मलजीत कौर पत्नी जसदीप सिंह के नाम पर सब–रजिस्ट्रार रुद्रपुर में पंजीकृत विवरण: बही नंबर 1, जिल्द 604, पेज 331 से 348, क्रमांक नंबर 991, दिनांक 08.03.2017 पर पंजीकृत है। चौहद्दी: उत्तर में: अमित यादव की जमीन, दक्षिण में: रास्ता व अश्वनी की जमीन, पूर्व में: श्याम चिलियाना की जमीन, पश्चिम में: राजकुमार की जमीन और 13 फीट चौड़ी गली।	20.08.2025 रू. 48,23,294.09 / – + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.08.2025 से प्रभावी।	रू. 44,79,000 / – रू. 4,47,900 / – रू. 45,000 / –
2.	शाखा: रुद्रपुर। मैसर्स आरएनए ऑटो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, डायरेक्टर्स के माध्यम से श्री विनोद कुमार तिवारी पुत्र सुंदरलाल तिवारी (उधारकर्ता / बंधककर्ता), श्रीमती अनिता कोठारी पत्नी श्री संजीव स्वरूप कोठारी (उधारकर्ता / बंधककर्ता)। श्रीमती अनीता कोठारी पत्नी संजीव स्वरूप कोठारी, निवासी 141, दूसरी मंजिल बाल मुकुंद खंड, गिरी नगर, कालकाजी, दक्षिणी दिल्ली 110019 (उधारकर्ता / बंधककर्ता) श्री विनोद कुमार तिवारी पुत्र सुंदर लाल तिवारी, निवासी ई15, ग्रीन पार्क, डिब्बिबा, जिला रामपुर (यूपी) (उधारकर्ता / बंधककर्ता) श्रीमती निधि तिवारी पत्नी श्री विनोद कुमार तिवारी, निवासी ई15, ग्रीन पार्क, डिब्बिबा, जिला रामपुर (यूपी) (गारंटर) सुंदर लाल तिवारी पुत्र स्वर्गीय श्री महेंद्र दत्त तिवारी, निवासी ग्राम नथुयावाला, परगना पर्वा दून, देहरादून (गारंटर / बंधककर्ता) श्रीमती विरजा देवी पत्नी श्री सुन्दर लाल तिवारी, निवासी ग्राम नथुयावाला, परगना पर्व दून, देहरादून (गारंटर)।	सम्पत्ति नंबर 01: अचल संपत्ति का विवरण:– सम्पत्ति प्लॉट नंबर 68–ए–1, जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 388 का हिस्सा का सामिक बंधक, सम्पत्ति इंटीपेटेड इंडस्ट्रीज एस्टेट पंतनगर, जिला– यूएस नगर (उत्तराखंड) में स्थित है और सब–रजिस्ट्रार ऑफिस रुद्रपुर, जिला यूएस नगर में बही नंबर 1, जिल्द नंबर 649, पेज नंबर 129–172 और क्रमांक नंबर 2154, दिनांक 05.05.2017 के तहत मैसर्स आरएनए ऑटो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है। चौहद्दी: उत्तर में हरियाली और नाला, दक्षिण में प्लॉट नंबर 68 ए–2, सेक्टर 4, पूर्व में 18 मीटर चौड़ी सड़क और हरियाली, पश्चिम में प्लॉट नंबर 62डी, सेक्टर 4. सम्पत्ति नंबर 02: सम्पत्ति खसरा नंबर 140 मिन, क्षेत्रफल 0.20 एकड़ का साम्यिक बंधक, सम्पत्ति नथुयावाला, जिला– देहरादून (उत्तराखंड) में स्थित है और सब–रजिस्ट्रार ऑफिस देहरादून, जिला देहरादून में बही नंबर 1, खंड नंबर 498, जिल्द नंबर 874, पेज नंबर 801–818 और क्रमांक नंबर 4338, दिनांक 25.08.2000 के तहत श्री सुंदर लाल तिवारी पुत्र स्व. श्री महेंद्र दत्त तिवारी के नाम पर पंजीकृत है। चौहद्दी: उत्तर में श्री सुंदर लाल तिवारी की जमीन, दक्षिण में बेल राम सकलानी की जमीन, पूर्व में बेधने वाले की जमीन, पश्चिम में श्री सुंदर लाल तिवारी की जमीन। सम्पत्ति नंबर 03: सम्पत्ति खसरा नंबर 140 मिन, क्षेत्रफल 0.21 एकड़ का साम्यिक बंधक, सम्पत्ति नथुयावाला, जिला– देहरादून (उत्तराखंड) में स्थित है और सब–रजिस्ट्रार ऑफिस देहरादून, जिला देहरादून में पंजीकृत है। में बही नंबर 1, खंड नंबर 498, जिल्द नंबर 905, पेज नंबर 993–1018 और क्रमांक नंबर 6022 के तहत, दिनांक 28.11.2000 को सुंदर लाल तिवारी पुत्र स्वर्गीय श्री महेंद्र दत्त तिवारी के नाम पर दर्ज है। चौहद्दी: उत्तर में श्री पीतांबर दत्त भट्ट की जमीन, दक्षिण में श्री सुंदर लाल तिवारी की जमीन, पूर्व में श्री जोड़ी लाल की जमीन, पश्चिम में श्री मोहन लाल तिवारी की जमीन।	07.03.2024 रू. 1,67,47,725.28 / – + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.03.2024 से प्रभावी।	सम्पत्ति नं. 1 रू. 48,66,000 / – रू. 4,86,600 / – रू. 20,000 / – सम्पत्ति नं. 2 रू. 2,20,00,000 / – रू. 22,00,000 / – रू. 20,000 / – सम्पत्ति नं. 3 रू. 1,93,00,000 / – रू. 19,30,000 / – रू. 20,000 / –
3.	शाखा: रुद्रपुर। 1. श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री अरविंदर सिंह, निवासी ग्राम सतुईया, तहसील किच्छा, जिला– यू.एस. नगर ... ... (उधारकर्ता) 2. श्रीमती हरजिंदर कौर पत्नी श्री अरविंदर सिंह, निवासी गांव सतुईया, तहसील किच्छा, जिला–यू.एस. नगर .....(ऋणकर्ता / बंधककर्ता) 3. श्री कुलविंदर सिंह पुत्र हरबंस सिंह, निवासी मकान नंबर 3 मटियापुरा, भोट के पास, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर ..... (गारंटर) 4. श्री सुखबंत सिंह पुत्र श्री चौधा सिंह, निवासी मकान नंबर 17, गुजरेला तहसील बिलासपुर, जिला–रामपुर (उ.प्र.) ..... (गारंटर)।	आवासीय सम्पत्ति नं. 1 का साम्यिक बंधक, खसरा संख्या 40, क्षेत्रफल 69.70 वर्ग मीटर जोकि श्रीमती हरजिंदर कौर पत्नी श्री अरविंदर सिंह के नाम पर स्थित है। विक्रय विलेख के अनुसार संपत्ति की चौहद्दी इस प्रकार हैं: पूर्व में किच्छा–बरेली रोड, पश्चिम में दाता की संपत्ति, उत्तर में दाता की संपत्ति, दक्षिण में रणवीर सिंह की संपत्ति।	16.09.2021 रू. 25,43,472.00 / – + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 31.08.2021 से प्रभावी।	रू. 31,22,000 / – रू. 3,12,200 / – रू. 10,000 / –
4.	शाखा: जसपुर। 1. मैसर्स लेडीज कलेक्शन प्रोपराईटर मंजुला मिश्रा पत्नी प्रमोद कुमार मिश्रा, निवासीः मोहल्ला भूप सिंह, जसपुर, जिला यू.एस. नगर (यूके) पिन नंबर: 244712 (उधारकर्ता) 2. मंजुला मिश्रा पत्नी प्रमोद कुमार मिश्रा, निवासीः मोहल्ला भूप सिंह, जसपुर जिला यू.एस. नगर (यूके) पिन नंबर: 244712 (बंधककर्ता) 3. प्रमोद कुमार मिश्रा पुत्र सुरेंद्र कुमार मिश्रा, मोहल्ला भूप सिंह, जसपुर, जिला यू.एस. नगर (यूके) पिन नंबर: 244712. (गारंटर) 4. शुभम कुमार पुत्र यशपाल सिंह, वार्ड नंबर 10 मोहल्ला नया सिंह जसपुर यू.एस.नगर (यूके) पिन नंबर: 244712 (गारंटर)।	क्षेत्रफल 309.34 वर्ग फिट / 28.75 वर्ग मीटर, डिमांड रजिस्टर नंबर 42 / 9, मोहल्ला भूप सिंह, बही नंबर 1, जिल्द नंबर 61, पेज नंबर 89 से 94, सीरियल नंबर 1661, तारीख 13–06–2011, सब–रजिस्ट्रार जसपुर में पंजीकृत है। संपत्ति की चौहद्दी: सेल डीड (सीरियल नंबर 1661) के अनुसार: पूर्व – शाहिद अली का घर, पश्चिम – श्रीमती संतोष का घर, उत्तर – रास्ता, दक्षिण – अख्तर अली का घर।	01.08.2023 रू. 8,07,489.00 / – + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.08.2023 से प्रभावी।	रू. 10,20,000 / – रू. 1,02,000 / – रू. 11,000 / –
5.	शाखा: जसपुर। 1. मैसर्स नेशनल गिफ्ट एंड जनरल स्टोर, प्रोपराईटर हिफजुर्रहमान पुत्र श्री सुलतानी हुसैन के माध्यम से, निवासी वार्ड नंबर–4, पट्टी पौहान, जसपुर यू एस नगर, यू.के. पिन नंबर: 244712 (उधारकर्ता) 2. श्रीमती फातमा रहमान पत्नी हिफजुर्रहमान, निवासी वार्ड नंबर–4, पट्टी पौहान, जसपुर यू एस नगर, यू.के. पिन नंबर: 244712. (गारंटर / बंधककर्ता) 3. फहीमुर्रहमान पुत्र अजीजुर्रहमान, निवासीः वार्ड नं. 1. मोहल्ला–दिल्ली सिंह, वार्ड आसिक जसपुर, जसपुर यू एस नगर, यू.के. पिन नंबर: 244712 (गारंटर)।	गिरवी रखी गई सम्पत्ति का विवरण – अचल संपत्ति मांग रजिस्टर नंबर 120बी, मोहल्ला– बाजार, तहसील– जसपुर, जिला– यूएस नगर (उत्तराखंड), पिन कोड: 244712, क्षेत्रफल: 122.29 वर्ग फीट या 11.365 वर्ग मीटर। सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार हैं: उत्तरः विशाल गुप्ता की जमीन, पश्चिमः मुकिर की जमीन, पूर्वः मुकिर की जमीन, दक्षिणः रास्ता।	22.10.2021 रू. 12,54,500.62 / – + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.10.2022 से प्रभावी।	रू. 11,25,000 / – रू. 1,12,500 / – रू. 12,000 / –

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क नंबरः रुद्रपुर और जसपुर- श्री ऋषि राज सिंह (7888503543)

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया पंजाब एंड सिंध बैंक, सुरक्षित लेनदार की वेबसाईट https://punjabandsind.bank.in एवं www.baanknet.in पर दिए गए लिंक को देखें यह नोटिस नियम 8(6) सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के अंतर्गत उधारकर्ताओं और गारंटरों (एल / आरएस) को 30 दिनों का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जाएगा।

स्थानः रुद्रपुर / जसपुर | दिनांकः 29.07.2026 | प्राधिकृत अधिकारी पंजाब एण्ड सिंध बैंक

Scanned with OKEN Scanner